न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनो मे देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36–3–2014–07 (न्यू०वे०)/4 दिनांक 2
अधिसूचना संख्या–650/36–03–2019–931(न्यू०वे०)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनो मे नि
की मूल दरो एव परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारन किया गया है। मजदूरी की जो दरे मासिक आधार पर निर्धारित
दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी

उक्त के अनुक्रम मे निम्नांकित 74 नियोजनो मे नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचक
माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 341 अंको के ऊपर जुलाई 2020 से दिसम्बरं 2020 के औसत अंक 341 अ
दिनांक 30.9.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा–

दृष्टान्त– रूपये–5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सू
दिनांक 01–04–2021 से दिनांक 30–9–2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(341–216) X 5750–प्रतिमाहरू0– 3328/–
216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये मे	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपये मे		दिनांक:1.4.2021 से
			दिनांक:01.10.2020 से 31.3.2021 तक	दिनांक:1.4.2021 से 30.9.2021 तक	कुल मजदूरी (रूपये मे)
1	2	3	4	5	6
1	अकुशल	5750	3008	3328	9078
2	अर्धकुशल	6325	3309	3660	9985
3	कुशल	7085	3706	4100	11185

नियोजन के नाम–

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयो (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों मे नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमे नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाऐं भी सम्मिलित है।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी
26. दुकानों मे
27. वाणिज्य अधिष्ठानों मे।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैन्डी/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।